

2019-20

2019-20

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तपगत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदि। नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्ण से सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश अथवा पुंक्ति/अधीन हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के स०-2 में डिप्लोमा इन इजी। इंजिनियरिंग लघुमोडल करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठित विस्तार-विस्तार एवं निम्नस्त निर्णय लिया गया :-

" संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

उक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय की आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश संख्या हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०टी०टी०आई०/पीसीआई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	4212	इंजी। पाठ्यक्रमिक, मुजफ्फर नगर, जौनपुर।	इंजिनियरिंग इलेक्ट्रिकल एवं इजी। सिविल इजी। मैकेनिकल इजी (टेक।) इलेक्ट्रिकल इजी। मैकेनिकल इजी (आर।)	52 50 100 150 120 50	50 50 100 150 120 50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०टी०टी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्दिष्ट विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों हेतु पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही जम्मेदार छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। सुपटेन्स के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सहाय-समय पर सलाह द्वारा निर्गत किये जाने वाले सलाहकार प्रवर्गी 80% उक्त सन्तुल्य सहाय-समय किये जाने आवश्यक होगा। संस्था निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश को पूर्णतः संतुल्य किया जाता है, तो प्रवेश को स्वीकृत करने जागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया गया) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन को निर्वाहानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सहाय-समय पर निर्गत सलाहकार के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्था को एमआईसीटीआई से अग्रणी श्रेणी में अनुमान प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियम/अधिनियम/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशक प्राविधिक शिक्षा, उद्योग, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने में विवेक बरतनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्गो पाठ्यक्रम की संरचना यदि लागू आई गई दिल्ली की अनुमान प्राप्त करने में आवश्यक होगी है तो इस संबंध में समस्त प्रासंगिक संस्था को ज्ञात और विवेक से प्रतिक्रिया देनी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये शासन की कोई भी संस्था को ज्ञात है उसे अपने कार्य को संबंध में सांभालना तथा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाना है उसे समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को पालनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कार्गो पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्रवेश करने के लिए आवेदनिका प्रेषित करनी है। अनुमान प्राप्त करने के लिए आवेदनिका प्रेषित करने के लिए अनुमान प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रेषित करनी होगी (कार्यालयिका की माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित विभिन्न मूल्यांकन आदेशों/नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने संरचनागत पर संस्था की संरचना सुझाए जाते संस्था की ऐतिहासिक सुविधाएँ, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, आदि विचार करने तथा सुझाए उपकरण सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु कमर्शियल यातायात उपलब्ध कराने की साथ शैविश सेवने में समर्थता आवश्यक अथवा सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को प्रसारित करने हेतु निरंतर तरीके से सत्र उपलब्ध कराये गये अनिवार्य भूमि-भाग्य, जलविद्युत, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संचालन में प्रयत्न किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था प्रयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्पत्तियां समर्पण किए जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्थाओं द्वारा अनुमान न मिले जाने अथवा शर्तों का पालन नहीं करने के कारण से विद्यार्थियों के विद्यमान अनुमानों का कार्यकारी की कार्यवाही।

(सर्जित कुमार सिंह)
सचिव

पुंसां- प्राशिय/परिषद संख्या/2018/1133-2252

तप दिनांक: 15-5-2019

प्रतिनिधि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, राष्ट्रीय पालीटेक्निक, मुख्यालय नउसीसहर जीनपुर।

(सर्जित कुमार सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या: प्रावि/परि/सम्बद्धता/2020/1071

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय धारा-

राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली/धार्मिक कार्यालय और इण्डिया नई दिल्ली द्वारा वित्तिक सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न प्राथमिक स्तरों की विद्यालयों के अनुदान प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संस्थागत/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्थागत/सम्बद्धता की सम्बद्धता/पूर्व से संस्थागत संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा पूर्ण सीमा अथवा अर्ध-सम्बद्धता विस्तार जारी हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। संस्थागत समिति की बैठक सं-सद-12 में विद्यमान इन इजाजत पत्रधारक संस्थागत करने वाले हैं। संस्थागत संस्थाओं को विस्तार देना गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र विस्तार-निर्देश कर विनियम जारी किए गए।

परिषद से पूर्व ही सम्बद्धता विधी क्षेत्र की संस्थाएँ जिनके द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्था में संस्थागत पूर्व पाठ्यक्रमों की प्रवेश अथवा में कमी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विस्तार-निर्देश जारी किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु एआईसीटीआईओ द्वारा प्रदत्त प्रवेश अथवा के अनुसार परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को उत्तर सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसार सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद सं-सद लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विनियमित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अथवा के सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीआईओ/द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश अथवा	एआईसीटीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा
1	आर्य समाज	मुबारकपुर	प्राथमिक शिक्षा इंग्लिश माध्यम इंग्लिश माध्यम इंग्लिश माध्यम इंग्लिश माध्यम इंग्लिश माध्यम इंग्लिश माध्यम	120 120 60 60 180 60	120 120 30 60 180 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु एआईसीटीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992, सेक्टर विनियमवारी-2019 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों एवं आवेदनों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को भेजना। प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु एआईसीटीआईओ द्वारा निर्धारित शुल्क 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) एवं एन.ए.के. की वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय धार्मिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु शुल्क 22,500/- (दो पचास हजार पांच सौ रुपये) का भुगतान करवाया जायेगा। उपरोक्त की अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के संस्थागत में सत्र-सत्र पर सत्रान्त द्वारा निर्मित किये जाने वाले सत्रान्तगत प्रभावी होने और सत्रान्तगत प्रभावी किया जाता अनावश्यक होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा जारी शर्तें को पालन करनी करनी होगी।
- ✓ संस्था की प्राथमिक शिक्षा समिति/सत्र समिति, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को भी पूर्णतः पालन करनी। शर्तों के अतिरिक्त सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा निर्धारित शर्तों को पालन करनी करनी होगी।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञाप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैडिक सं. 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ-06 से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्ये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु शिक्षा/कार्यो के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4432-BAKSHI POLYTECHNIC, MUJAR, MACHHALI SHAHAR, JAUNPUR

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRONICS ENGINEERING	30	30
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	180	180
6	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982 संस्था विनियमवाली 2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्मित शुल्कों (तीन वर्षीय द्वितीय पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष तथा एक वर्षीय दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक संस्थागत प्रशासक द्वारा प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जायस द्वारा निर्मित किए जाने वाले शासकदेश प्रभावी होंगे, ज्वेर तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली 2008 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आगति छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को राज्य-स्तर पर निर्गत वासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ जिसोका दुन कार्याही पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में सम्बन्धित/संबन्धित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात सामने किया जाये तो संस्था द्वारा बात के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किए जाते है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यमान दुन कार्याही पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने संबन्धित पर संस्था की समस्त सुचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाले शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के स्वयं-में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने वाले अधिपति, भूमि-भजन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाया है तो परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थतीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपहसनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

ए0स0- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रातिपत्ति-

प्रधानाचार्य/निदेशक, BAKSHI POLYTECHNIC, MUJAR, MACHHALI SHAHAR, JAUNPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव